रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2000/आश्विन 18, 1922

No. 656] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2000/ASVINA 18, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2000

का.आ. 917(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 3 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से सिकंदरा—भोगनीपुर—बाड़ (391 किलोमीटर से 449 किलोमीटर तक) भाग का लोप करती है।

[फा. सं. एन एच-14012/1/2000-पी एल]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2000

S.O. 917(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the portion Sikandra—Bhognipur—Bara (km. 391 to 449) from the National Highway No. 2 mentioned at serial number 3 in the Schedule to the said Act.

[F. No. NH-14012/1/2000-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2000

का.आ. 918(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के विवरण में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिनियम की अनुसूची में "राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण" स्तंभ में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"दिल्ली, मथुरा, आगरा, सिकंदरा, बाड़, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मोहनियां, बरही और कलकत्ता को मिलाने वाला राजमार्ग"।

[फा. सं. एन एच-14012/1/2000-पी एल]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2000

S.O. 918(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the description of the National Highway No. 2 specified in the Schedule to the said Act with serial No. 3, namely :—

In the Schedule to the said Act, for the entry under the column "description of national highway", the following entry shall be substituted, namely :—

"The highway connecting Delhi, Mathura, Agra, Sikandra, Bara, Kanpur, Allahabad, Benaras, Mohania, Barhi, and Calcutta".

[F. No. NH-14012/1/2000-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2000

का.आ. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग को जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, उक्त सारणी के स्तंभ क्रमशः (1) और (2) में उल्लिखित क्रम सं. और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया माना जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1	2	3
"3क	2क	सिकंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ अपने संधिस्थल से शुरू होकर और भोगनीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के साथ अपने संधिस्थल पर समाप्त होने वाला राजमार्ग"।

[फा. सं. एन एच-14012/1/2000-पी एल]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2000

S.O. 919(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the Table below to be a national highway.

The said highway, now declared to be a National Highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act, with the serial No. and National Highway No. indicated in columns (1) and (2) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of National Highway
1	2	3
"3A	2A	The Highway starting from its junction with National Highway No. 2 at Sikandra and terminating at Bhognipur at its junction with National Highway No. 25".

[F. No. NH-14012/1/2000-PL]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.